Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
9 नवम्बर 2017

पॉपुलर फ्रंट ने टाइम्स नाव टीवी चैनल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने टाइम्स नाव टीवी चैनल, उसके सम्पादक, रिपोर्टर, उनका साथ देने वालों और गृह मंत्रालय के ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मंत्रालय के दफ्तरी राज़ों को चोरी से हासिल करने या उन्हें लीक करने और संगठन को बदनाम करते हुए उन्हें जनता के बीच फैलाने पर नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है।

शिकायत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज़ अहमद ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट एक नौसामाजिक आंदोलन है, जो सालों से देश भर में मुसलमानों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य पिछड़े और दबे कुचले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। संगठन भारत के संविधान और कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके सा काम करता रहा है। जिसका मुख्यालय कालिंदीकुंज, नई दिल्ली में है।

टाइम्स नाव ने दो महीने पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बदनाम करने वाली ख़बरें प्रसारित की थीं। उसने सरकार के दफ्तरी राज़ों को हासिल करके, डिबेट प्रोग्रामों के द्वारा उन्हें प्रसारित किया था। 31 अगस्त 2017 को रात 10 बजे ''दी न्यूज़ आवर'' के नाम से एक डिबेट प्रोग्राम प्रसारित किया गया, जिसमें चैनल के वरिष्ठ सम्पादक आनंद नरसिम्हन ने यह बयान दिया कि ''......रिपोर्ट के कागज़ात के सिलसिले में हमारी छान बीन के अनुसार......'' और इसके साथ ही स्क्रीन पर यह लिखा हुआ दिखाया गया कि ''बेहद खुफिया रिपोर्ट मिली'', सनसनीखेज़ खुफिया रिपोर्ट मिली''। डिबेट को जारी रखते हुए, चीफ एडिटर और प्रोग्राम के ऐंकर राहुल शिवशंकर दोनों ने कहा कि ''.....मेरे हाथ में ऐसी खुफिया दस्तावेज़ात का सेट है, जिसे किसी ने नहीं देखा है........''। अभी प्रोग्राम जारी था, और उसमें स्क्रीन पर यह दिखाया गया कि ''गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए से पीएफआई के बारे में विवरण मांगा है'', ''पीएफआई के बारे में मुकद्दमों के विवरण पर आधारित एनआईए की रिपोर्ट गुह मंत्रालय (एमएचए) को भेज दी गई हैं'', ''बेहद खुफिया रिपोर्ट मिली'', ''पीएफआई की पहचान पर आधारित एनआईए की रिपोर्ट टाइम्स नाव को मिली''।

दूसरे उदाहरण में, 27 सितम्बर 2017 को रात 8 बजे ''इंडिया अपफ्रंट'' के नाम से एक दूसरी डिबेट का प्रसारण किया गया, जिसमें राहुल शिवशंकर ने रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ''....... जानकार स्रोतों से हमें यह मिली है। निकुंज गर्ग ने कहानी का खुलासा किया। हमें यह जानकार स्रोतों से पता चला है कि कुछ ही दिनों में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और अब, निकुंज अब मेरा हाथ उस फाईल पर है। हम उसे अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं।'' इसके बाद, टाइम्स नाव के रिपोर्टर निकुंज गर्ग ने कहा कि ''राहुल, देश की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी एजेंसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, केरल पुलिस और लॉ एण्ड ऑडर लागू करने वाली और खुफिया एजेंसियों की जाँच में दो बेहद घातक नतीजे निकाले गए हैं। इन सबकी जानकारी को गृह मंत्रालय की फाइल के साथ लगाया गया है, जिसे एक बार ट्रिब्यूनल में पेश कर दिया गया तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और पीएफआई पर प्रतिबंध लगना बस कुछ ही दिनों की बात है। अब इसलिए हम, दोबारा हम देख रहे हैं.........''। निकुंज गर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहाः ''..........यह मैं नहीं कह रहा हूँ और न आप कह रहे हैं, यह मंत्रालय की उस फाइल का हिस्सा है, जो हमने आज हासिल की है।''

अपनी शिकायत में परवेज़ अहमद ने आगे कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के कानून और यहाँ की कानूनी व्यवस्था पर यकीन रखता है। इसलिए हम एनआईए सहित किसी भी एजेंसी की जाँच का सामना करने और चैनल में बयान किये गए तमाम झूटे आरोपों में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हैं। चैनल पर प्रसारित ऊपर दी गई बातों के बारे में उन्होंने कहा कि यह बात साफ है कि टाइम्स नाव ने या तो गृह मंत्रालय के दफ्तरी राज़ों को चुराया है या मंत्रालय के किसी आदमी ने टाइम्स नाव के लिए उसे लीक किया है और फिर उसे जनता के बीच फैलाया गया है, जो एक देशविरोधी गतिविधी है। जो कानून की पैनल शर्तों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें प्रशासन के उसूलों, राज़दारी और पत्रकारिता की नैतिकताओं का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

इसलिए परवेज़ अहमद ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से इस मामले में टाइम्स नाव चैनल, आनंद नरसिम्हन, राहुल शिवशंकर, निकुंज गर्ग, इसमें उनका साथ देने वालों और गृह मंत्रालय के ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस सिलसिले में कानून की मुनासिब धाराओं के तहत आपराधिक जाँच शुरू करने का निवेदन किया।

शफीकुर्रहमान,
सेक्रेटरी ,जनसंपर्क,
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली